विधानसभा प्रश्न
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

विषय :- 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का अतारांकित प्रश्न संख्या 1283/वित्त द्वारा श्रीमती अनिता भदेल (2), सदस्य, राजस्थान विधान सभा।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमती अनिता भदेल (2), माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1283/वित्त का उत्तर तैयार किया जाना है। उक्त प्रश्न निम्न प्रकार से है:-

1. सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कार्मिकों/अधिकारियों को दी जाने वाली चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के क्या नियम है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. क्या यह सही है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों/ अधिकारियों द्वारा चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत कराने हेतु दिये गये आवेदन लम्बित है ? यदि हां तो विभिन्न विभागों में लम्बित आवेदनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।
3. उक्त आवेदन कब से लम्बित है ? इन्हें स्वीकृत नहीं करने के कारण रहें ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अतः अनुरोध है कि अधीनस्थ विभागो/कार्यालयों से बिन्दु स. 2 एव 3 की सूचना विभाग स्तर पर प्राप्त कर अपने विभाग की संकलित सूचना अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/
विशिष्ट शासन सचिव

अशा.टीप.सं.प. 3(4) वित्त/नियम/2019
जयपुर, दिनांक : 2019

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–40/2019/323 दिनांक : 12/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयाध्यक्षों से विधानसभा प्रश्न संख्या 1283/वित्त द्वारा श्रीमती अनिता भदेल माननीय विधायक महोदया के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में चाही गई सूचना संकलित कर निदेशालय को 02 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार वित अनुभाग को अवगत करवाया जा सके।
2. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आपके अनुभाग में चाईल्ड केयर लीव के कितने आवेदन लम्बित हैं एवं लम्बित रहने के क्या कारण हैं, की सूचना एकजाही कर सामान्य सीट, राजपत्रित अनुभाग को 02 दिवस में उपलब्ध करवाने का श्रम करें ताकि तदनुसार वित अनुभाग को अवगत करवाया जा सके।
3. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही संबंधित अधिकारियों की ई–मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।